

4079
05-05-17

// SHRI DAGADU SHETH NAMAH //

BRAJESH KUMAR SHUKLA

[B.Sc.,LL.B.(R.S.S.Univ.)
ADVOCATE
MEMBER

STATE BAR COUNCIL OF CHHATISGARH



Add.-

Siddhivinayak Dr. R.P. NAGAR
Korba, (C.G.)
Phone 07759-221282
Mobile- 98271-83752
9165586472

प्रपत्र-1

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

(सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) के अंतर्गत आवेदन पत्र)

प्रति,

श्रीमान् लोक सूचना अधिकारी / नोडल अधिकारी
मुख्य अभियंता कार्यालय सीएसपीजीसीएल केटीपीएस कोरबा ईस्ट
जिला-कोरबा (छ0ग0)

विषय :- सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी दिये जाने बाबत आवेदन पत्र ।

महोदय,

अनुरोध है कि सूचना के अधिकार के तहत निम्नलिखित जानकारी देने का कष्ट करें ।

- | | | |
|-----|---|--|
| 01. | आवेदक का नाम | ब्रजेश कुमार शुक्ला अधिवक्ता कोरबा |
| 02. | पूरा पता/ईमेल/फैक्स जिस पर जानकारी | " सिद्धि विनायक " म.न. एम.आई.जी. 37 / एलआईजी 82, डॉ0 राजेन्द्र जिस पर जानकारी प्रसाद नगर एम.पी. हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, टेलीफोन- एक्सचेंज के सामने, कोरबा, जिला-कोरबा (छ0ग0) Email - advbkshukla@yahoo.com 07759 221282, मो0न0 098271 83752 03.05.2017 मुख्य अभियंता कार्यालय सीएसपीजीसीएल केटीपीएस कोरबा ईस्ट हर्ष वर्धन गुप्ता पूर्व कार्यपालन अभियंता (उत्पादन) कर्मचारी नंबर 86036711 द्वारा दिनांक 02.01.2017 रिसीप्ट नंबर 8161 के तहत दिये गये गृह माझा गस्ता की पात्रता बाबत दिये गये पत्र के संबंध में क्या कार्यवाही की गई एवं गलत तरीके से काटी गई राशि 58452/- एवं उसके पश्चात् गृह माझा गस्ता बंद कर दिये जाने से श्री हर्ष वर्धन गुप्ता को हुई कुल क्षति राशि 80709/- के संबंध में किये जा रहे कार्यवाही की संपूर्ण जानकारी दिये जाने के संबंध में लिखित प्रमाणित सूचना । |
| 03. | दूरभाष क्रमांक, कार्यालय | |
| 04. | आवेदन देने का दिनांक | |
| 05. | कार्यालय का नाम | |
| 06. | चाही गई जानकारी | |
| 07. | क्या वाहते हैं नकल/निरीक्षण/रिकार्ड निरीक्षण/प्रमाणित सूचना | :- |
| 08. | आवेदन पत्र के साथ अदा किये जाने वाले प्रोसेस फी रुपये 10/- नकद/स्टाम्प (बीपीएल सूची के सदस्य को देय नहीं):- | :- पोस्टल आर्डर क्रमांक 42F 258850/03.05.17 नहीं |
| 09. | क्या आवेदक मशीनी रेखा के नीचे हैं अथवा नहीं हैं/नहीं यदि हो तो बीपीएल सूची का अनुक्रमांक..... | :- :- |

अतः महानुभाव से निवेदन है कि उपरोक्तानुसार जानकारी नियमों के तहत समयावधि में प्रेषित करने का कष्ट करें।

टिप्पणी :- सूचना के अधिकार अधिनियमों के तहत आवश्यक देय राशि हमारे द्वारा आपके निर्देशन पर तत्काल जमा कर दी जायेगी ।

स्थान - कोरबा
दिनांक **03.05.17**


हरताक्षर आवेदनकर्ता

पावती

01. आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथी
02. आवेदनकर्ता को वांछित जानकारी प्राप्त करने के संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित होने का दिनांक
03. संबंधित शाखा/अधिकारी जहाँ से जानकारी उपलब्ध होगी.....
(लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्राधिकृत)

(रबरसील)
पटनाम

Sr. W/O
A

कोरबा ताप विद्युत गृह कोरबा पूर्व, छ.रा.वि.उ.क.म.कोरबा पूर्व
(जन सूचना विभाग)

क्रमांक 20-01/16/1640

कोरबा पूर्व,दिनांक: 15 MAY 2017

प्रति,

1. जनसूचना अधिकारी,
कार्या.—मुख्य.अभि.(मानव संसा.)
छ.रा.वि.उ.कं.मर्या.रायपुर (छ.ग)
2. जनसूचना अधिकारी,
कार्या.—कार्यपालक निदेशक
डी.एस.पी.एम.ताप विद्युत गृह
छ.रा.वि.उ.कं.मर्या. कोरबा पूर्व (छ.ग)

| |
|---|
| O/o CE (HR) C.S.P.G.C.L., RAIPUR Rect. No. 4034 Date 18.5.17 |
|---|

विषय:— सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी बाबत आवेदन पत्र।

संदर्भ:— श्री ब्रजेश कुमार शुक्ला का आवेदन दिनांक 21.04.2017

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत श्री ब्रजेश कुमार शुक्ला का आवेदन इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। आवेदक द्वारा वांछित जानकारी के कृपया लेख है कि श्री हर्षवर्धन गुप्ता का उल्लेखित पत्र मुख्य अभियंता छ.रा.वि.उ.क.म. कोरबा पूर्व द्वारा क्रमांक 20-01/01/210 कोरबा दि. 18.01.17 द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु आपके कार्यालय में प्रेषित किया गया है। अतः कृपया उक्त संबंध में आपके विभाग में की गई कार्यवाही संबंधी वांछित जानकारी इस कार्यालय के सूचनाधीन यथा समय आवेदक को प्रदान करने का कष्ट करें।

कृपया लेख है कि आवेदक द्वारा आवेदन शुल्क की राशि रु.10/- पोस्टल आर्डर के रूप में इस कार्यालय में जमा किया गया है।

संलग्न:— उपरोक्तानुसार

(आर.लकरा)

जनसूचना अधिकारी एवं अधी.अभियंता
कार्या.मुख्य अभियंता(उत्पादन)
छ.रा.वि.उ.क.म.कोरबा पूर्व

प्रतिलिपि:—

01. कार्यपालक निदेशक, (वित्त) छ.रा.वि.उ.कं.मर्या.रायपुर (छ.ग) — सादर सूचनार्थ ।
02. श्री ब्रजेश कुमार शुक्ला, अधिवक्ता, सदस्य स्टेट बार कौंसिल, छत्तीसगढ़,
पता—सिद्धिविनायक, डॉ.आर पी नगर, कोरबा (छ.ग) —

आवेदन पत्र के संदर्भ में सूचनार्थ — श्री हर्षवर्धन गुप्ता का उल्लेखित पत्र मुख्य अभियंता छ.रा.वि. उ.क.म. कोरबा पूर्व द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु अन्य कार्यालय में प्रेषित किया गया है, अतः आपको जानकारी प्रदान करने उनसे अनुरोध किया गया है। इस कार्यालय में उपलब्ध जानकारी संलग्न प्रेषित है। कृपया अन्य जानकारी के लिये संबंधित विभाग से संपर्क करने का कष्ट करें।

(आर.लकरा)

जनसूचना अधिकारी एवं अधी.अभियंता
कार्या.मुख्य अभियंता(उत्पादन)
छ.रा.वि.उ.क.म.कोरबा पूर्व



छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी मर्यादित

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)

क्र. 03-11/सू.अधि./46-17/2302

रायपुर, दिनांक 31-05-17

प्रति,

श्री ब्रजेश कुमार शुक्ला,
अधिवक्ता,
सदस्य स्टेट बार काउंसिल,
पता - सिद्धिविनायक, डॉ. आर. पी. नगर,
जिला-कोरबा, छ.ग.।

विषय:-सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी विषयक।

संदर्भ:-आपका पत्र क्र. निरंक दिनांक 03.05.2017 एवं इस कार्यालय का पंजीयन क्र. 46-17, दिनांक 19.05.2017।

विषयांतर्गत, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आपके उपरोक्त संदर्भित आवेदन जनसूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य अभियंता (उत्पा.) कोरबा पूर्व के माध्यम से दिनांक 18.05.2017 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। आपके आवेदन में वांछित जानकारी, इस कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर संकलित कर ली गई है, जो कि कुल 01 पृष्ठ में उपलब्ध है, प्रदान की जाती है।

यदि आप उपरोक्त जानकारी से संतुष्ट नहीं हैं तो उक्त जानकारी के विरुद्ध, प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष, निर्धारित आवेदन पंजीयन शुल्क रू. 50/- मात्र का भुगतान कर प्रथम अपील आवेदन निर्णय प्राप्त होने के 30 दिवस के भीतर प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रथम अपीलीय अधिकारी का पता निम्नानुसार है:-

श्री पी.के.अग्रवाल
अपीलीय अधिकारी सह उप महाप्रबंधक (मा.संसा.)-एक
कार्यालय- मुख्य अभियंता (मा.संसा.)
छ.रा.वि.उ.कं.मर्या., रायपुर।
दूरभाष-0771-2574883

सेलमन : उपरोक्त कुमार

o/c

R. Jha
31/05/17

(राजीव झा)

जनसूचना अधिकारी, सह प्रबंधक (मा.सं.)
कार्या.- मुख्य अभियंता (मा.संसा.),
छ.रा.वि.उ.कं.मर्या., रायपुर
दूरभाष क्रमांक 0771-2574081

प्रतिलिपि:-

जनसूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य अभियंता (उत्पा.) कोरबा पूर्व को उनके पत्र क्रमांक 20-01/16/1640 कोरबा पूर्व दिनांक 15.05.2017 के संबध में सूचनार्थ।

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड

(छत्तीसगढ़ शासन का एक अंगका)

क्र. 03-11/डी.जी.एन.-एन/ 2293

रायपुर, दिनांक 30/5/2017

प्रति,

मुख्य अभियंता (उत्पादन)
को.ता.वि.गु., छ.स्टे.पा.ज.कं.लि., कोरबा पूर्व।

विषय:- गृह भाड़ा कटौती वापस करने बाबत- श्री हर्षवर्धन गुप्ता, कार्यपालन अभियंता ।

संदर्भ:- श्री हर्षवर्धन गुप्ता का दिनांक 02.01.2017 ।


---00---

उपरोक्त संदर्भ में श्री हर्षवर्धन गुप्ता, कार्यपालन अभियंता के बारे में सूचित किया जाता है कि होल्डिंग कंपनी के आदेश क्र. 01-03/WAC/Allowances/635 दिनांक 11.03.2016 के आदेश में इस कार्यालय के आदेश क्र. 03-11/983 दिनांक 18.03.2016 के द्वारा स्पष्ट दिशा-निर्देश दिये गये थे, जो स्वतः स्पष्ट है।

अतः आवेदक को उपरोक्त आदेशों के तहत कार्यवाही की जाकर उनके शिकायत का निराकरण करने का कष्ट करें।

संलग्न:- आदेश क्र. 983 की प्रति।

② मूल आवेदन


मुख्य अभियंता (मा.संसा.)
छ.स्टे.पा.ज.कं.लि., रायपुर

सूचना का अधिकार अधि. 2005 के अंतर्गत
जानकारी प्रवृत्त - कार्या. मु. अभि. (मा.सं.)
छ.ग. वि.कं. मर्या. रायपुर छ.ग.